

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 43/2022

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल साउथेंड
स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मोहित
सिंह शेखावत



बनाम

..... प्रार्थी

श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री भोंरी लाल शर्मा, पता- आदर्श ज्ञान विद्यालय,
गलता रोड, जयपुर शहर राजस्थान दूसरा पता- ग्राम तीतरवाडा खुई ग्राम
पंचायत तीतरवाडा कलां पंचायत समिति दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
राजस्थान- 303325

(ऋणी व बंधककर्ता)

2. श्रीमती उर्मिला देवी शर्मा पत्नि श्री रामकिशोर शर्मा, पता- हटवालों की ढाणी,
ग्राम तीतरवाडा खुई जिला दौसा राजस्थान- 303325

(सह ऋणी)

3. श्री लोकेश शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, पता-40, जोगियों की ढाणी,
जयसिंहपुरा खोर, वार्ड नंबर 76, जयपुर राजस्थान-302027

(सह ऋणी)

4. श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, पता- हटवालों की ढाणी, ग्राम
तीतरवाडा खुई जिला दौसा राजस्थान- 303325

(सह ऋणी)

5. श्री संतोष कुमार जैमन पुत्र श्री मदन लाल शर्मा, पता- हटवालों की ढाणी,
ग्राम तीतरवाडा खुई, जिला दौसा राजस्थान -303325

(जमानती)

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 29.7.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड
ने अप्रार्थी/ऋणी को 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई
गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति
के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का
ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने
पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड जारी
किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अर्थात् बतौर
जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of the security
interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

निरंतर ... 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री भौरी लाल शर्मा की संपत्ति जो कि ग्राम तीतरवाडा कलां पंचायत समिति दौसा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 287.11 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 287.11 वर्गगज है जो कि थाना सैथल के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 29.7.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा